न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र सं. : 42/2020 **निर्णय दिनांक 17.03.2021**

1. साधू पुत्र जगन्नाथ
2. गुलाब देवी पत्नी भंवरलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीलवा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

–अप्रार्थीगण

3. भोरा उर्फ भूरा पुत्र जगन्नाथ
4. गुल्ला दत्तक पुत्र बालूराम
5. सीताराम पुत्र गोमाराम
6. कल्याण पुत्र घासी
7. धोलू पुत्र घासी
8. रामकरण पुत्र घासी
9. मदन दत्तक पुत्र बोदू

समस्त जातियान गुर्जर निवासी ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः– अधिवक्ता प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार शर्मा

उपस्थितः– अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 श्री उमेश पारीक

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से वाके ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 688 (रकबा 0.10 हे.) व आ.ख.नं. 7[illegible]/984 (रकबा 0.32 हे.) के सन्दर्भ में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत [illegible] कर प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी भूमि ख.नं. 687/982, 688, 690 लगायत 705, 711 कुल किता 19 कुल रकबा 7.74 है, गत खसरा नं. 218 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा से कायम किये गये है तथा इसी प्रकार हाल खसरा नं. 721,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.11.10 12:38:16 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

722, 724 लगायत 729 कुल किता 8 कुल रकबा 4.56 है. गत खसरा नं. 314/1 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा से कायम किये गये है।

उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 5 के स्वयं के तथा अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 के पूर्वजों घासी पुत्र लाला व बोदू पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण सं. 6 लगायत 9 के पूर्वजों घासी पुत्र लाला व बोदू पुत्र जगन्नाथ की मृत्यु हो जाने के कम में फौती नामान्तकरण प्रकियाधीन होने से अप्रार्थीगण सं. 6 लगायत 9 को वारिसान होने के कारण अप्रार्थी पक्षकार बतौर तरतीबी अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 9 के मध्य कोई विवाद नही है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित आराजी साबिक खसरा नम्बर 218 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा के गत खसरा नं. 629 लगायत 632, 633 मिन, 636, 637, 638 639, 642, 643, 644, 645, 648, 647, 653/1 कुल किता 16 कुल रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा तथा आराजी भूमि साबिक ख. नं. 314/1 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा के गत (साबिक) ख.नं. 314 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा के गत खसरा नं. 662, 663, 664, 666, 678 मिन, 679 मिन थे। उक्त वर्णित आ.ख.नं. 629, 630, 632, 633, 636, 639, 640, 643, 644, 646, 647, 650, 656, 658, 659, 661, 663, 664 कुल किता 18 कुल रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त खाता सं. 53 सम्वत 2008 से 2027 प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 3 लगायत 9 के पूर्वज लालिया पुत्र चतरू के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो कि उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार था तथा खसरा नम्बर 648, 653 ,666, 678, 677, 667, 675, 679, 671, 674, 676 कुल किता 11 कुल रकबा 39 बीघा 9 बिस्वा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त खाता सं. 54 लालिया पुत्र चतरू व झूंथा पुत्र भीवा गुर्जर के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है।

साबिक ख.नं. 629 की 1 बिस्वा भूमि, खसरा नं. 630 की 1 बिस्वा भूमि, खसरा नं. 636 की 5 बिस्वा भूमि तथा खसरा नं. 656 की 2 बिस्वा भूमि कुल रकबा 9 बिस्वा बंजड डोल के एकीकरण के दौरान खसरा नम्बर ... में ... बिस्वा भूमि किस्म बंजड डोल दर्ज कर लालिया पुत्र चतरू गुर्जर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 9 की खातेदारी में दर्ज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.11.10 12:28:16 IST
Reason: SelfAttested

एकीकरण के समय दर्ज खसरा नं. 218 रकबा 10 बिस्वा किस्म बंजड डोल के हाल सैटलमेन्ट के दौरान खसरा नम्बर 688 रकबा 0.10 है. किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कर दिया गया, जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को बिना सक्षम न्यायालय

न्यायक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

या बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि बंजड डोल को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अधिकार नही था जिससे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 688 रकबा 0.10 है. किस्म बंजड डोल को अवैध रूप से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के इन्द्राज को प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

साबिक खसरा नं. 633 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में से एकीकरण के दौरान खसरा नं. 218 में 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि लालिया पुत्र चतरू के खाते में दी गई। जिसको हाल सैटलमेन्ट ने प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 9 के नाम दर्ज नही की तथा उसका नया खसरा नं. 705/984 रकबा 0.32 है. बना कर अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दी गई, जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारीयों को पूर्व के इन्द्राज की पुनरावृति करनी चाहिये थी, जबकि खसरा नं. 705/984 पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण जागीर काल से अपने पूर्वजों के अनुसार पुश्तैनी रूप से लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है।

दिनांक 19.10.2020 को अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के कर्मचारीयों ने ख.नं. 688 व 705/984 पर प्रार्थीगण का नाजायज कब्जा बताते हुये बेदखल करने की धमकी देने के कम में जानकारी करने पर प्रार्थीगण को सेटलमेन्ट कर्मचारीयों की उक्त गलती का पता चला है तथा अप्रार्थीगण सं. 1, 2 की धमकी से प्रार्थीगण को यह आशंका है कि अप्रार्थीगण सं. 1, 2 कभी भी प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नं. 688 व 705/984 से जबरन बेदखल कर सकते है। जिससे प्रार्थीगण को हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है और जो कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। यदि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को पाबन्द नही किया गया तो वें प्रार्थीगण को आराजी खसरा नं. 688 व 705/984 से जबरन बेदखल कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही होगी।

अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 9 को सहकाश्तकार होने मात्र के कारण पक्षकार बनाया गया है, जिनसे कोई अनुतोष नही चाहे जाने के कारण तरतीबी पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.11.10 12:38:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायी जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को ताफैसला मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वें वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं. 688 व 705/984 पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

न्यायालय तहसीलदार (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का औपचारिक मात्र जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा यह तथ्य गलत अंकित किये गये है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि दिनांक 19.10.2020 को मौके पर गये हो तथा प्रार्थीगण को कोई धमकी दी हों। इस प्रकार जब मिन अप्रार्थी मौके पर गये ही नही तो धमकी देने की बात असत्य है। जिससे प्रार्थीगण को तथाकथित दिनांक को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है तथा प्रार्थीगण के कथन किस्म परिवर्तन से संबंधित भी नही है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत वाद आवश्यक प्रकृति का नही है। जिससे मिन अप्रार्थी को कानूनी नोटिस दिये बिना वाद चलने योग्य नही है। जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पोषणीय नही है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्तनीय क्षति तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी व तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गौर पूर्वक अवलोकन किया। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभयपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है। जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नही है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्को व दस्तावेजों के अनुसार वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वें वाके ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आराजी ख.नं. 688 रकबा 0.10 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता व ख.नं. 705/984 रकबा 0.32 है. की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा उभयपक्षकारान किसी प्रकार का अविधिक निर्माण कार्य ना करें।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.11.10 12:38:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (ट्रेक) आमेर
न्यायालय जयपुर